अति महत्वपूर्ण

संशोधित

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 465 / 2017 / 26–2 / भोपाल, दिनांक 16 जून, 2017

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।

विषय :– **ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनातंर्गत विधवा महिलाओं के प्रकरणों में स्वीकृत के अधिकारों का प्रत्यायोजन ग्राम पंचायत को करने बावत्।**

संदर्भ :– सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का पत्र क्र0 / एफ–2–87 / 2010 / 26–2 / 2013 दिनांक 25 जून, 2013

–0–

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन अंतर्गत क्रमशः 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु, तथा 40 से 60 वर्ष आयु की विधवा महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से है, को प्रतिमाह रूपये 300 / – की पेंशन प्रदाय की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में इस पेंशन को स्वीकृत करने के अधिकार जनपद पंचायत को प्रदत किये गये थे। महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई, 2017 से ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत पात्र विधवा महिलाओं के पेंशन प्रकरणों पर स्वीकृति के अधिकारों को ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित किया जाता है।

3. मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के आदेश दिनांक 25–06–2013 में पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में उल्लेखित कंड़िका क्रमांक 11 की उप कंड़िका 11.1 में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में विधवा महिलाओं के पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया प्रतिष्ठापित की जाती है :–

11.1 <u>ग्रामीण क्षेत्र (संशोधित)</u>

11.1.1 आवेदक द्वारा (विधवा महिला श्रेणी को छोड़कर) सेवा के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को प्रस्तुत किया जावेगा।

11.1.2 आवेदन पर ग्राम पंचायत से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त किया जावेगा।

"संशोधित पृष्ठ"

11.1.3 आवेदक द्वारा प्रचलित प्रक्रिया अनुसार यदि आवेदन पंचायत सचिव के समक्ष ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जाते है तो उक्त आवेदन का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृत हेतु संबंधित पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को भेजा जावेगा। इस स्थिति में समय–सीमा पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से प्रारंभ होगी।

11.1.4 प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वास्पष्ट आदेश विहित प्रारूप (संलग्न) में पारित किया जायेगा। यह संपूर्ण कार्यवाही अधिकतम 60 दिवस में पूर्ण होगी।

11.1.5 पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा।

11.1.6 विधवा महिला श्रेणी की पेंशन के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी (ग्राम पंचायत सरपंच/ग्राम सचिव) को प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदिका द्वारा इस आवेदन को ऑन लाईन (www.pensions.samagra.gov.in पर) दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसकी स्वीकृति प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

i. पंचायत सचिव द्वारा उक्त आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता का मिलान समग्र पोर्टल पर संभावित पात्र की सूची से किया जावेगा।

- संभावित पात्र सूची में नाम न होने पर, ग्राम सचिव द्वारा आवेदिका के पति की मृत्यु की पुष्टि की जायेगी तथा पुष्टि होने पर नियमानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र www.spr.samagra.gov.in से जारी किया जावेगा। अन्य पात्रता शर्तों की पूर्ति होने पर, एवं मृत्यु की जानकारी समग्र पोर्टल पर ग्राम सचिव द्वारा भरी जाने पर संभावित पात्र सूची में नाम प्रदर्शित होगा।
- संभावित पात्र सूची में नाम होने पर आगे का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृत/ अस्वीकृत की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में की जावेगी।

ii. ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से समय–सीमा प्रारंभ होगी। आवेदन प्राप्ति के दो सप्ताह में यदि ग्राम पंचायत की बैठक न हो पाये अथवा बैठक में आवेदन पर निर्णय न हो पाये तो ग्राम पंचायत सचिव अपनी टीप के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को आवेदन प्रेषित करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ऐसे आवेदनों की कंडिका 11.1.1 से 11.1.5 के अनुरूप स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही करेंगे।

iii. आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्पष्ट आदेश विहित प्रारूप में पारित किया जावेगा।

iv. उपरोक्त स्वीकृति आदेश समग्र पोर्टल से ही जारी होगी, जिसे ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संबंधित जनपद पंचायत से समग्र पोर्टल पर अपलोड कराना होगा।

v. पेंशन स्वीकृति उपरांत अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा।

यह संपूर्ण कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम, 2010 दर्शाये अनुसार दी गई अधिकतम समय–सीमा के अन्दर पूर्ण की जावे। देरी होने की दशा में विहित अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुये निवारणात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जावे।

यह संशोधित निर्देश दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावशील होगें।

(नीलम शमी राव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक / 466 /2017/26–2/ भोपाल, दिनांक 16 जून, 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.
5. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, संचालनालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण परिसर, तुलसीनगर, भोपाल ।
6. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त ग्राम पंचायत सचिव, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.